इंदौर की वेटलैंड्स का भविष्य तय करेगा एशियन वॉटरबर्ड सेंसस 2026

नव भारत न्यूज

इंदौर. 3 और 4 जनवरी को होने वाला एशियन वॉटरबर्ड सेंसस इंदौर और आसपास की आर्द्रभूमियों की वास्तविक हालत और प्रवासी पक्षियों की संख्या जानने में अहम भूमिका निभाएगा. वन विभाग ने जिले में सर्वे के लिए मानकीकृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि इंदौर और आसपास की वेटलैंड्स पर बढ़ते शहरी दबाव और बदलते भू-उपयोग के बीच आने वाला एशियन वॉटरबर्ड सेंसस 2026 बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सर्वे अगले माह 3 और 4 जनवरी को होगा, जिसमें इंदौर जिले के प्रमुख जलस्रोतों और तालाबों में प्रवासी तथा स्थानीय जलपक्षियों की गणना की जाएगी. वन विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए एकरूप प्लान तैयार करते हुए सभी जिलों को डिजिटल सर्वे प्रोटोकॉल और फील्ड फॉर्मेट अपनाने के निर्देश दिए हैं.

पक्षियों की प्रजातियां और उनकी संख्या से मिलता है संकेत -जानकारी के मुताबिक वेटलैंड्स पर दर्ज होने वाले पक्षियों की प्रजातियां और उनकी संख्या, आर्द्रभूमियों की सेहत का सीधा संकेत देती हैं. इंदौर के जलाशयों में सर्वे के दौरान दर्ज किए जाने वाले आंकड़े बताएंगे कि वेटलैंड्स पर प्रदूषण, अतिक्रमण और भू-जल दोहन का कितना असर पड़ा है. इससे भविष्य की संरक्षण रणनीति तय की जाएगी और जरूरत पड़ने पर प्रभावित स्थलों पर पुनर्स्थापन कार्य भी शुरू हो सकता है. यह सेंसस नागरिक विज्ञान आधारित मॉडल पर चलाया जा रहा है. इसमें प्रशिक्षित स्वयंसेवक, छात्र, बर्डवॉचर और प्रकृति प्रेमी शामिल होंगे.

इंदौर जिले से प्राप्त डेटा अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म ई-वर्ड पर अपलोड होगा, जो आगे वैश्विक वैज्ञानिक अध्ययन का हिस्सा बनेगा. टीमों को तय वेटलैंड्स पर भेजा जाएगा और जलाशयों की स्थिति, प्रदूषण स्तर एवं मानवीय दबाव की जानकारी वेटलैंड असेसमेंट फॉर्म में दर्ज की जाएगी. वन विभाग ने टीमों को दिशानिर्देश जारी करते हुए सुरक्षा और निगरानी की रूपरेखा भी तय की है. रेंज और एसडीओ स्तर के अधिकारी फील्ड सर्वे की मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि जिला स्तर पर समन्वय वनमंडलाधिकारी के पास रहेगा.

प्रदेश में 150 से अधिक प्राथमिक आर्द्रभूमियां हैं सूचीबद्ध

अधिकारियों का कहना है कि वेटलैंड्स की रक्षा केवल कानून या विभागीय प्रयासों से संभव नहीं है. जनता की सहभागिता से ही उपेक्षित आर्द्रभूमियों को संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र में बदला जा सकता है. इंदौर में ये वेटलैंड्स बाढ़ नियंत्रण, भू-जल रिचार्ज और तापमान संतुलन के लिए भी अहम हैं. प्रदेश में 150 से अधिक प्राथमिक आर्द्रभूमियां सूचीबद्ध हैं और राष्ट्रीय स्तर पर देशभर में 96 रामसर साइट मौजूद हैं. मामले में डीएफओ का मानना है कि निष्कर्षों से वेटलैंड संरक्षण नीति को नया आधार मिलेगा. सेंसस में दो सप्ताह का समय शेष है और वन विभाग ने प्रतिभागियों से पंजीयन तथा प्रशिक्षण समय पर पूरा करने की अपील की है.

22 .88 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में फर्म के 4 निदेशकों पर एफआईआर

- बैंक में गिरवी रखा अनाज बेचकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया

इंदौर. कासमोस को-ऑपरेटिव बैंक से करोड़ों का ऋण लेकर फर्म लाभांशी मल्टीट्रेड के चार संचालकों व अन्य ने स्टॉक खुर्दबुर्द कर बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया. जांच में आरोप सही पाए जाने पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) भोपाल में धारा 409, 420 और 120-बी के तहत प्रकरण दर्ज किया है.

ईओडब्ल्यू की इंदौर ब्रांच की जांच रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ने लाभांशी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और उसके पदाधिकारियों पर 22.88 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया है. आरोप है कि फर्म संचालकों ने बैंक से लिए गए करोड़ों के ऋण का दुरुपयोग करते हुए स्टॉक बेचकर और फंड डायवर्ट कर बैंक को बड़ी आर्थिक हानि पहुंचाई. शिकायत में कहा गया है कि लाभांशी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2019 में कासमोस को ऑपरेटिव बैंक साउथ तुकोगंज शाखा में मशीनरी और कैश क्रेडिट लिमिट के लिए आवेदन दिया था. कंपनी के नाम टर्म लोन और सीसी लिमिट मिलाकर कुल 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी. इसके बाद लिमिट बढ़ाकर वर्ष 2020 में कुल 11.50 करोड़ और वर्ष 2022 में इसे बढ़ाते हुए 21.50 करोड़ रुपए कर दिया गया.

फर्म के इन निदेशकों पर किया गया मामला दर्ज-जांच के बाद निरीक्षक आमोद सिंह राठौर ने देहाती नालिसी तैयार कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का कहा था. केस डायरी भोपाल भेजने के बाद थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में फर्म, निदेशकों आयुष अग्रवाल, अनूप सिंघल, अंकुश सिंघल, राजेंद्र कुमार सिंघल व अन्य के नाम शामिल हैं. प्रकरण की आगे विस्तृत वित्तीय जांच, दस्तावेज परीक्षण और आरोपी पक्षों के बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बकाया राशि नहीं चुकाने पर फर्म का खाता किया एनपीए घोषित

बैंक द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद फर्म संचालकों ने बकाया राशि नहीं चुकाई. इस पर बैंक ने अक्टूबर 2024 में खाता एनपीए घोषित कर दिया. बैंक ऑडिट और दस्तावेजी सत्यापन में सामने आया कि फर्म ने बिना अनुमति उपलब्ध स्टॉक बेच दिया, जबकि ऋण शर्तों के अनुसार स्टॉक किसी भी स्थिति में ट्रांसफर या निस्तारित नहीं किया जा सकता था. जांच में यह तथ्य भी मिला कि फर्म संचालकों ने अन्य कंपनियों के साथ मिलकर स्टॉक और ऋण राशि को खुर्दबुर्द किया. इस अनियमितता से बैंक को ब्याज सहित करीब 22 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंची.

एचडीएफसी बैंक से लोन लेकर 6 .87 करोड़ की धोखाधड़ी, केस दर्ज

- केशव प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक के संचालकों पर दर्ज हुई एफआईआर
- स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ा-चढ़ा कर लिया लोन

इंदौर. केशव प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एलएलपी के पार्टनरों पर एचडीएफसी बैंक से 6.87 करोड़ रुपए का व्यापारिक ऋण लेकर फर्जी स्टॉक दिखाने और फंड डायवर्जन के जरिए बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में शिकायत के सत्यापन के बाद राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) भोपाल ने धारा 420, 409 और 120-बी के तहत प्रकरण दर्ज किया है.

राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ने एचडीएफसी बैंक की शिकायत पर दो कारोबारी नवनीत गर्ग एवं प्रवीण दादू समेत अन्य के खिलाफ 6.87 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. आरोपी फर्म केशव प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एलएलपी द्वारा बैंक से व्यापारिक ऋण लेने के बाद फंड का दुरूपयोग, स्टॉक में अंतर और संदेहास्पद लेनदेन के प्रमाण मिलने पर यह कार्रवाई की गई. ईओडब्ल्यू से प्राप्त जानकारी के मुताबिक फर्म ने एचडीएफसी बैंक स्नेहनगर सपना संगीता रोड ब्रांच से वर्ष 2021 में 7.41 करोड़ रुपये का क्रेडिट लोन लिया था.

बाद में सीमा बढ़ाते हुए मार्च 2022 में लिमिट 8.72 करोड़ रुपये कर दी गई. ऋण संचालन के दौरान फर्म ने स्टॉक बढ़ाकर दिखाया, लेकिन उससे मेल खाते खरीद दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए. बैंक द्वारा कराए गए ऑडिट और फोरेंसिक परीक्षण में पाया गया कि फंड विभिन्न खातों में ट्रांसफर किया गया, जबकि संबंधित फर्मों से कोई वास्तविक खरीद-बिक्री नहीं हुई थी. साथ ही स्टॉक भी बुक्स के अनुरूप मौके पर उपलब्ध नहीं मिला. इस प्रक्रिया में फंड डायवर्ट कर बैंक को लगभग 6 करोड़ 87 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई.

संगठित वित्तीय अनियमितता और बैंकिंग धोखाधड़ी का है मामला

इसके बाद एचडीएफसी बैंक फ्रॉड एंड विजिलेंस नोएडा द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद इंदौर ईओडब्ल्यू ने सत्यापन किया और आरोप सही पाए जाने पर शून्य पर एफआईआर दर्ज कर केस डायरी भोपाल भेजी. इसके आधार पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में शनिवार को अपराध दर्ज कर प्रकरण को जांच में ले लिया है. दस्तावेज, बैंक लेनदेन, खातों की जांच एवं संभावित आरोपी व्यक्तियों के बयान लिए जाएंगे. अधिकारियों के अनुसार यह मामला संगठित वित्तीय अनियमितता और बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित है. आगे जांच के बाद जिम्मेदारी तय होने पर गिरफ्तारी व अन्य कानूनी कार्रवाई संभव है.

लुटेरी दुल्हन और उसका भाई गिरफ्त में, दलाल कैश लेकर फरार

- कोर्ट परिसर में शादी का नाटक रचकर सवा लाख रुपए ठगे

नव भारत न्यूज

इंदौर. जिला अदालत के बाहर युवक से शादी कराने के नाम पर सवा लाख की ठगी करने वाली गैंग का खुलासा हुआ है. पुलिस ने दुल्हन बनकर पहुंची युवती और उसके कथित भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य दलाल और नकली पिता रकम लेकर फरार हो गए. पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

एमजी रोड थाना पुलिस के अनुसार फरियादी सुनील बरोदिया निवासी सागौर, जिला धार ने शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि अजय जोशी नामक व्यक्ति ने फोन पर संपर्क कर सुनील की शादी कराने का झांसा दिया और एक युवती की फोटो दिखाई. इसके बाद कोर्ट परिसर में नोटरी के सामने शादी का नाटक रचाया गया. फरियादी के परिवार के साथ पूरी गैंग अदालत परिसर पहुंची, जहां नोटरी दस्तावेजों के सहारे शादी का दिखावा किया. इस दौरान जय भवानी नगर की रहने वाली युवती सपना अहिरवार दुल्हन बनकर पहुंची, जबकि उसके साथ आए रवि रघुवंशी निवासी सुंदर नगर बाणगंगा भाई बनकर आया. शादी की औपचारिकताओं के बीच सुनील से करीब सवा लाख रुपए ले लिए गए और इसके बाद शादी का इंतजाम कराने वाला कथित दलाल अजय और युवती का पिता बनकर आया व्यक्ति रकम लेकर फरार हो गए.

पहले से शादीशुदा निकली दुल्हन

जब फरियादी ने सपना से शादी को लेकर सवाल किया तो उसने खुलासा किया कि यह सब फर्जी था. सपना ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे की मां है. अजय ने उससे कहा था कि शादी की रस्म में दुल्हन बनकर खड़े होने पर उसे पैसे मिलेंगे. घटना के बाद पुलिस ने सपना और रवि को मौके से पकड़ लिया. दोनों से ठगी और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है. वहीं, फरार दलाल अजय और युवती के कथित पिता की तलाश तेज कर दी है. पुलिस का कहना है कि कोर्ट परिसर में शादी का झांसा देकर लोगों से नकदी ऐंठने की आशंका पर गिरोह के अन्य कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं.

किन्नर सपना, उसके पति सहित 6 पर अमानत में खयानत का केस दर्ज

- बेटमा में रहने वाले दो किन्नरों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच

नव भारत न्यूज

इंदौर. जेल में बंद किन्नर सपना और उसके पति राजा हाशमी सहित कुल छह लोगों पर बेटमा में रहने वाली दो किन्नरों से 15 लाख रुपए और सोने-चांदी के जेवर लेकर धमकाने का मामला सामने आया है. जांच के बाद बेटमा पुलिस ने अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है.

बेटमा पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक पुराने मामले में जेल में बंद किन्नर सपना और उसके पति राजा हाशमी सहित कुल छह लोगों के खिलाफ अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया है. एसडीओपी संघप्रिया सम्राट ने बताया कि सपना और राजा हाशमी के साथ अन्य चार लोग बेटमा में रहने वाली किन्नर नीतू और बाला के घर कुछ समय तक ठहरे थे. इसी दौरान आरोपियों ने भरोसा बनाकर उनसे करीब 15 लाख रुपए नकद और सोने-चांदी के आभूषण अपने पास रख लिए. जब नीतू और बाला ने रुपए और जेवर वापस मांगे तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इस पर दोनों पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की थी. प्रारंभिक जांच में लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने सपना, उसके पति राजा हाशमी और अन्य साथियों के खिलाफ अमानत में खयानत की धारा में मामला दर्ज कर लिया.

एक नजर में ▶ अपराधियों की नकेल कसने शहर की जोन-2 पुलिस ने शुरू किया अभियान

नशे पर सख्ती, अपराधियों की धरपकड़ और ड्रोन पेट्रोलिंग से बढ़ाई निगरानी

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर के जोन-2 क्षेत्र में पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है. इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही असामाजिक तत्वों की कड़ी जांच, ड्रोन पेट्रोलिंग और जनसंवाद के साथ सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा रहा है.

पुलिस उपायुक्त जोन 2 कुमार प्रतीक के निर्देशन में देर रात विशेष चेकिंग, संदिग्धों की धरपकड़ और नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है. इसके तहत जोन-2 के थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रही है और साइबर अपराध, नशा मुक्ति, हेल्पलाइन सेवाओं तथा प्रतिबंधित चीनी मांझे के खतरे पर जनजागरूकता कार्यक्रम चला रही है. मोहल्ला बैठकें और रैलियां आयोजित कर अपराध नियंत्रण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है. क्षेत्र में ड्रोन पेट्रोलिंग से निगरानी मजबूत हुई है. संवेदनशील इलाकों की सर्चिंग के साथ प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस टीमें पैदल गश्त कर रही हैं, ताकि असामाजिक तत्वों पर रोक लगाई जा सके. अभियान के तहत सक्रिय अपराधियों, निगरानी बदमाशों और संदिग्धों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा रही है.

अभियान में ये कार्रवाई की गई-इस विशेष अभियान के तहत दौरान गुण्डा चेक- 45, चाकूबाज चेक- 18, निगरानी बदमाश चेक - 33, संदिग्धों को थाना लाना- 30, संदिग्धों पर कार्रवाई -11, हॉटस्पॉट चेकिंग - 45, शेडो एरिया चेकिंग- 32, मल्टी/बिल्डिंग चेकिंग- 17, स्थायी वारंट तामील- 6, गिरफ्तारी वारंट तामील- 18, यातायात और नशा नियंत्रण में कड़ी कार्रवाई की गई.

नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी अभियान तेज किया है. शराब पीकर वाहन चलाने पर 55 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनके वाहन जब्त किए. बिना नंबर प्लेट, तीन सवारी और अन्य उल्लंघनों पर 8 वाहनों को पकड़ा. इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वाले 2 व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की गई है. मामले में कुमार प्रतीक का कहना है कि जोन-2 के सभी थाना क्षेत्रों में मोहल्ला मीटिंग और जनसंवाद कार्यक्रम हो रहे हैं. लोग पुलिस से सीधे समस्याएं साझा कर रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं. इन कार्यक्रमों में नशे के दुष्परिणाम, अपराध नियंत्रण और सुरक्षित समाज निर्माण पर जानकारी दी जा रही है.

एन बी सी सी NBCC A Navratna CPSE
ASPIRE

मानानीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी वाली आवास परियोजना ललेंड कोर्ट रिसीवर के माध्यम से
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा निष्पादित

ई-नीलामी के माध्यम से मालसूची की थोक बिक्री

एस्पायर सिलिकॉन सिटी
फेज़-IV, सेक्टर-76, नोएडा, उत्तर प्रदेश
मालसूची - आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 बी.एच.के. एवं 4 बी.एच.के. के आलीशान अपार्टमेंट्स
स्पेक्ट्रम मॉल, नोएडा के पास और निकटतम मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर-50 (एक्वा लाइन) एवं सेक्टर-76 मेट्रो हैं तथा आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन - 25 मिनट

एस्पायर लेज़र पार्क
टेकज़ोन-IV, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उत्तर प्रदेश
मालसूची-आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 बी.एच.के. एवं 4 बी.एच.के. के आलीशान अपार्टमेंट्स
डीमार्ट के पास एवं आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन - 30 मिनट

एस्पायर लेज़र वैली
टेकज़ोन-IV, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उत्तर प्रदेश
मालसूची आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 बी.एच.के. एवं 4 बी. एच. के. के आलीशान अपार्टमेंट्स
डीमार्ट के पास एवं आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन - 35 मिनट

एस्पायर सेंचुरियन पार्क
टेकज़ोन-IV, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), उत्तर प्रदेश
मालसूची-आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 बी.एच.के. एवं 4 बी.एच.के. के आलीशान अपार्टमेंट्स
डीमार्ट के पास एवं आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन - 30 मिनट

ई.एम.डी. जमा करने की अंतिम तिथि: 27.12.2025
ई-नीलामी 29.12.2025 को आयोजित की जाएगी
ई.एम.डी. राशि 9.70 करोड़ रु. से 20.90 करोड़ रु. तक
7 पैकेज जिनका मूल्य 485 करोड़ रु. से 1,045 करोड़ रु. तक है

कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें:
www.nbccindia.in I www.receiveramrapali.in
या कॉल करें : 9772907414
कृपया ई-नीलामी दस्तावेज के लिए क्यूआर स्कैन करें: